. यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** के माह 05/2016 से माह 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **अशोक कुमार**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.08.2017 से 23.08.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिंहा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.2016 से 20.05.2016 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2014 से माह 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

**(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:–**

***(धनराशि ` लाख में)***

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | | गैर स्थापना | | बचत/आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | बचत/आधिक्य | आवंटन | व्यय | |
| 2015-16 | Nil | Nil | 74.32 | 74.32 | Nil | 9480.28 | 8451.34 | 1028.94 |
| 2016-17 | Nil | Nil | 79.26 | 79.26 | Nil | 12319.92 | 9758.40 | 2561.52 |
| 2017-18 | Nil | Nil | 87.55 | 87.55 | Nil | 2128.81 | 1722.06 | 406.75 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–**

***(धनराशि ` लाख में)***

| योजना का नाम | 2015–16 | | | 2016–17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रा.अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रा.अवशेष | प्राप्ति | व्यय |
| अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति | Nil | 155.87 | 155.87 | Nil | 1381.28 | 564.16 |
| इन्दिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | Nil | 682.95 | 682.95 | Nil | 996.03 | 654.22 |
| इन्दिरा गांधी राष्टीय विकलांग पेंशन योजना | Nil | 8.37 | 8.37 | Nil | 8.54 | 8.54 |
| पारिवारिक लाभ योजना | Nil | 125.00 | 125.00 | Nil | 98.00 | 98.00 |
| अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति | Nil | 1522.90 | 1522.90 | Nil | 1935.52 | 1028.19 |
| अनु. जनजाति के 9–10 कक्षा की छात्रवृत्ति | Nil | 27.30 | 27.30 | Nil | 00 | 00 |

( ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

( )**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

## भाग – 2 (ब)

**प्रस्तर :1- सत्यापन में अपात्र घोषित के उपरांत भी लाभार्थी को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 0.63 लाख का अनियमित भुगतान।**

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक नवम्बर 2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार ऑनलाइन छात्रवृत्ति भुगतान प्रक्रिया में सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की वर्ष 2015 – 16 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के अंतर्गत :-

(i) Nimbus School of Education में बी. एड की छात्रा मोनिका कुमारी का नाम सत्यापन के दौरान सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदित नही किया गया था जबकि लाभार्थी को ₹ 30,250=00 की भुगतान किया गया था।। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर आपत्ति से सहमत होते हुए बताया गया कि पुनः जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ii) Guru Ram Rai Institute of Technology & Science, Patelnagar, Dehradun के बी. फार्मा के छात्र श्री रोहित कुमार जिसका पंजीकरण सं 350508938 था, सत्यापन के दौरान सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अभिवाबक की बार्षिक आय ₹ 474156=00 का उल्लेख करने के उपरांत भी लाभार्थी को ₹ 32650=00 की भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की छात्र के पोर्टल में अपलोड की गयी आय प्रमाण पत्र में मासिक आय ₹ 1000=00 दर्शाया गया था एवं इस आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। उत्तर मान्य नही है कारण छात्र प्रथम चरण में अपना रिकॉर्ड अपलोड करते है एवं बाद में भौतिक सत्यापन की जाँच सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान में जाकर किया जाता है। अतः शासनादेश के अनुसार सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की गयी जाँच को प्राथमिकता देते हुए एवं जाँच में की गयी आपत्ति का निराकरण न करके बी. फार्मा के छात्र श्री रोहित कुमार को भुगतान किया गया।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरण में सत्यापन में की गयी आपत्ति को अनदेखा कर ₹ 62900=00 की अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (ब)

**प्रस्तरः 02 अटल आवास योजनान्तर्गत धनराशि रु0 65.49 लाख जनपद स्तर पर बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने तथा 91 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।**

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद के आवासहीन अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए अटल आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लाभान्वित किया जाना है जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये हों। आवास निर्माण की लागत पर्वतीय क्षेत्रो हेतु रु0 38500 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु रु0 35000 निर्धारित है जिसमें से प्रथम किस्त के रुप में रु0 23500 तथा आवास का निर्माण कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त क्रमशः रु0 15000 एवं रु0 11500 द्वितीय किस्त के रुप में प्रदान किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अनुसूचित जनजाति अटल आवास योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि जनजाति कल्याण निदेशालय द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए माह अगस्त 2015 एवं मार्च 2016 में कुल 220 नवीन लाभार्थियों के लिए रु0 51.70 लाख तथा 171 आवासों के द्वितीय किस्त के भुगतान के लिए रु0 23.515 लाख कुल रु0 75.215 लाख की धनराशि निर्गत की गयी थी। शासनादेश में प्रावधानित किया गया था कि लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त का पूर्ण उपभोग कर लिया गया तथा उपभोग प्रमाण पत्र जनपदीय कार्यालय को जमा कर दिया गया है। **यह भी निर्देशित किया गया कि अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

उपरोक्त के अतिरिक्त लाभार्थियों के चयन के उपरान्त प्रथम किस्त का भुगतान करते समय यह निर्देशित किया जाता है कि आवास निर्माण का कार्य 03 माह में पूर्ण करते हुए डी0पी0सी0–9 एवं बिल वाउचर, फोटो तथा आवास निर्माण का प्रमाण पत्र सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जनपद कार्यालय को प्रस्तुत करे तत्पश्चात आपको द्वितीय किस्त की धनराशि प्रेषित की जाएगी।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि धनराशि आवंटन के उपरान्त इकाई द्वारा जनपद के विकास खण्डों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये तथा वर्ष के दौरान कुल 140 लाभार्थियों (124 पर्वतीय क्षेत्र एवं 16 मैदानी क्षेत्र) को लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। तद्नुसार सभी लाभार्थियों को दिसम्बर 2016 में रु0 32.90 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रुप में भुगतान प्रदान किया गया तथा वर्ष के दौरान निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके 49 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 7.14 लाख का भुगतान किया

गया था। इस प्रकार से वर्ष के दौरान कुल धनराशि रु0 40.04 लाख का व्यय किया गया था तथा धनराशि रु0 35.175 लाख इकाई स्तर पर संचालित बैंक खाते में अवरुद्ध पडी है। यह भी पाया गया कि 91 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था जबकि कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार 03 माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था। उपरोक्त के अतिरिक्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च 2016 की जॉच में पाया गया कि अटल आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में आवंटित सम्पूर्ण धनराशि रु0 75.22 लाख को 281 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए व्यय दर्शाया गया था जबकि धनराशियॉ इकाई द्वारा संचालित बैंक खाते में जमा के रुप में पडी थी। इससे स्पष्ट होता है कि इकाई द्वारा निदेशालय को मिथ्या पूर्ण सूचना प्रेषित की गयी थी। आवंटत पत्र में स्पष्ट निर्देश कि अप्रयुक्त धनराशि को शासन को समर्पण किया जाए, होने के बावजूद भी धनराशि रु0 35.18 लाख इकाई स्तर पर अवरुद्ध रखा गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित भाग दो पंजिका तथा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जॉच में पाया गया कि इकाई के पास वर्ष 2015–16 से पूर्व के वर्षो से रु0 30.31 लाख की धनराशि अवशेष थी। इकाई द्वारा अटल आवास योजना से सम्बन्धित किसी लेजर का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण यह आकलन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया कि उक्त अवशेष धनराशि प्रथम किस्त की धनराशि है अथवा द्वितीय किस्त की। लेजर न बनाये जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि कितने ऐसे लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया तथा किस वर्ष में किया गया है, जिनको कि द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस प्रकार से दोनों प्रकरणों में कुल धनराशि रु0 65.49 लाख (रु0 35.18 लाख तथा रु0 30.31 लाख) जनपद स्तर पर बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी है।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि लाभार्थियों का चयन विकास खण्ड स्तर पर किया जाता है तथा आवास पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों को लिखा जाता है। अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया कि चयनित लाभार्थियों की द्वितीय किस्त की धनराशि का आकलन एवं उनकी संख्या ज्ञात करते हुए उतनी धनराशि रोककर शेष धनराशि लेखा शीर्षक में जमा कर दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2015–16 से पूर्व के प्रथम किस्त का भुगतान किये गये चयनित लाभार्थियों के सम्बन्ध में कार्यालय के पास लेजर न बनाये जाने के कारण कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा अप्रयुक्त धनराशि को यथाशीघ्र समर्पित कर दिया जाना चाहिए था और प्रगति प्रतिवेदन में भी व्यय के रुप में वास्तविक व्यय को ही दर्शाया जाना चाहिए था।

अतः अटल आवास योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु0 65.49 लाख जनपद स्तर पर बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने तथा 91 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 03 अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत रु0 40.74 लाख से निर्मित होने वाली सी0 सी0 मार्ग निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी विगत एक वर्ष से पूर्ण न किया जाना

**तथा योजनान्तर्गत धनराशि रु0 52.16 लाख विगत कई वर्षो से बैंक खातें में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।**

अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 247/XVII-4/2016-01(102)/2015 दिनांक 15 फरवरी 2016 के माध्यम से जनपद देहरादून विकास खण्ड चकराता के ग्राम बुरास्वा से डुगियारा में सी0 सी0 मार्ग निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रु0 40.74 लाख व्यय करने की निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी;

1. कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को दिये जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।

3. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।

निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के साथ दिनांक 14 मार्च 2016 को समझौता ज्ञापन सम्पादित किया गया। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 01 मार्च 2016 तथा पूर्ण एवं हस्तगत किये जाने की तिथि 01 जून 2016 थी। कार्यदायी संस्था को कार्यादेश तथा धनराशि प्रेषण करते समय अपने पत्र दिनांक 30 मार्च 2016 में निर्देशित किया गया कि स्वीकृत योजना प्रत्येक दशा में 6 माह में पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण कार्यो की प्रत्येक माह 25 तारीख को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण जनपद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर दिनांक 30 मार्च 2016 को कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी, चकराता को निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि रु0 40.74 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 20.37 लाख उपलब्ध करा दिया गया तथा शेष धनराशि रु0 20.37 लाख शासनादेश के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जनपद स्तर पर संचालित बैंक खाते में अवशेष के रुप में जमा है। यह भी पाया गया कि कार्यदायी संस्था से नियमित रुप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं प्राप्त किया जा रहा था तथा कार्य वर्तमान तक अपूर्ण है। समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य जून 2016 में ससमय पूर्ण कराने के लिए इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

निर्माण से सम्बन्धित भाग दो पंजिका तथा उपलब्ध करायी गयी विवरण की जॉच में यह भी पाया गया कि वर्तमान में रु0 66.19 लाख अनावश्यक रुप से बैंक खाते में अवरुद्ध पडी है। जिनमें से **रु0 23.19 लाख की**

**धनराशि** वर्ष 2015–16 के पूर्व वर्षो से सम्बन्धित है तथा उपलब्ध करायी गयी विवरण की जॉच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2015–16 के पूर्व का कोई भी निर्माण कार्य लम्बित नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति उप योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो से सम्बन्धित भाग दो पंजिका वर्ष 2016–17 की जॉच में पाया गया कि धनराशि रु0 28,97,359/ पूर्व वर्षो से ही अवशेष के रुप में पडी हुई थी। वर्ष 2015–16 की भी भाग दो पंजिका में भी उक्त धनराशि अवशेष के रुप में पडी थी। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि विगत कई वर्षो से कार्यालय स्तर पर संचालित बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी है। इस प्रकार से दोनो प्रकरणों में धनराशि रु0 52.16 लाख (रु0 23.19 लाख + रु0 28.97 लाख) विगत कई वर्षो से इकाई के बैंक खातें में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के कारण द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका, जिलाधिकारी स्तर से निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष से जॉच करवाई जा रही है जॉचोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी। विगत वर्षो की रु0 23.19 लाख एवं अनु. जनजाति उपयोजना की रु0 28.97 लाख अवशेष के सम्बन्ध में अवगत कराया कि यह विगत वर्षो की पूर्ण कार्यो की अवशेष धनराशि है जिसे शीघ्र ही सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा कर दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार जून 2016 में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था और जिलाधिकारी स्तर से तृतीय पक्ष से जॉच के लिए अगस्त 2017 जॉच आदेश दिये गये है जो कि कार्य पूर्ण होने की प्रावधानित तिथि से एक वर्ष बाद की है।

अतः अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत रु0 40.74 लाख से निर्मित होने वाली सी0 सी0 मार्ग निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी विगत एक वर्ष से पूर्ण न किया जाना तथा योजनान्तर्गत धनराशि रु0 52.16 लाख विगत कई वर्षो से बैंक खातें में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग – 2 (ब)**

**प्रस्तर :4- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम का उल्लंघन कर विगत दो वर्ष में ₹ 16.54 लाख का छात्रावास के भोजन मद में व्यय। |**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3(2) के अनुसार जब तक विशिष्ट आदेशो के अधीन छुट न दी जाये तब तक समस्त अधिप्रप्तिया निविदा के माध्यम से की जाएगी एवं नियम 12(1 ) में यह प्राभधानित किया गया की जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ₹ 15,00,000 लाख तक हो, तो सीमित निविदा प्रक्रिया लागु करना है |

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला की अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की वर्ष 2016 – 17 में भोजन मद में ₹ 13.70 लाख का आवंटन हुआ था जिसमे से विद्यालय द्वारा ₹ 13.64 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 के माह जुलाई 2017 तक इस मद पर ₹ 6.50 लाख का आवंटन हुआ जिसमे से ₹ 2.90 लाख का व्यय किया जा चुका है। |

अर्थात वर्ष 2016 – 17 एवं वर्ष 2017–18 के माह जुलाई 2017 तक में भोजन मद में व्यय की गयी धनराशि ₹ 16.54 लाख की आपूर्ति बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये किया गया है जो की अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन दर्शाता है | लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की निविदा प्रक्रिया के लिए दर आमंत्रित किया गया था पर आपूर्ति दाताओ द्वारा दर न प्रदान करने की स्थिति में बाज़ार दर से सामग्री क्रय किया गया तथा निदेशालय स्तर पर ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया गतिमान है। उत्तर मान्य नही है कारण ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया आगामी समय के लिए लागु होगा एवं विगत दो वर्षो में बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ₹ 16.54 लाख की भुगतान अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर किया गया है। |

अतः उपरोक्त प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग – 2 (ब)**

**प्रस्तर : 5- शासनादेश का उल्लंघन कर इकाई द्वारा संचालित पांच बैंक खाते में ₹ 9.89 करोड़ की धनराशि का अवरोधन। ।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं 99 दिनांक 03/09/2009 के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओ की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा (Park) की जाती रही है। इसके सापेक्ष यह निर्णय लिया गया था की जब किसी कार्य के लिए निधि की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाये साथ में यह भी कहा गया था की सरकारी विभागो को बैंक खाता खोलने का कोई प्रावधान नही है, शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य /अवधि हेतु खाता संचालित किया जा सकता है,। अंन्यथा यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाये एवं उस खाते की धनराशि विभागीय पी . एल . ए में तथा उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा करा दिया जाये। ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की इकाई द्वारा संचालित 05 बैंक खातों में कुल ₹ 9.89 करोड़ की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक अवरुद्ध पड़ी है जो की निम्नबत है :

| बैंक का नाम | खाता सं | दिनांक 17-08-17 तक अवशेष धनराशि | दिनांक 31-03-17 तक अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| Allahabad | 50037444421 | 53,12,610=00 | 2,36,26,810=00 |
| IOB | 252 | 3,96,56,122=00 | 4,50,38,318=00 |
| IOB | 664 | 43,161=00 | 5,01,150=00 |
| PNB | 4796 | 3,02,71,002=00 | 33,21,158=00 |
| HDFC | 1417 | 2,36,50,000=00 | 2,36,50,000=00 |
| | **Total** | **9,89,32,895=00** | **9,61,37,436=00** |

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति से सहमत होते हुए बताया गया की धनराशियो की आवश्यकता का आंकलन कर अप्रयुक्त धनराशियो को यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा दी जाएगी।

अतः इकाई द्वारा संचालित 05 बैंक खातों में कुल ₹ 9.89 करोड़ की अवरुद्ध धनराशि का प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-6- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण धनरा श रू. 0.22 लाख का अ धक भुगतान।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून में कार्यस्त कर्मचारियों एवं अ धकारियों के वेतन बिल पंजिका के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क श्री गम्भीर संह रावत (प्र. सहायक) द्वारा माह जनवरी 2016 से रू. 12940/- वेतन के रूप में आहरित कया जा रहा था, जब क समीक्षा उपरान्त पाया गया क उनको धनरा श रू. 12570/- प्रति माह की दर से वेतन देय था, अर्थात 01/2016 से 12/2016 तक कुल धनरा श रू. 13756.5 (ववरण संलग्नक) का अ धक भुगतान कया गया।

आगे जांच में यह भी पाया गया क श्री गम्भीर संह रावत का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत रू. 33,900/- पर निर्धारित कया गया, जब क फटमेंट ता लका के अनुसार उनका वेतन रू. 32,900 पर निर्धारित कया जाना था। वभाग में सातवें वेतन का लाभ माह 01/2017 से मलना प्रारम्भ हुआ, इस तरह कुल 7 माह में 01/2017 से 07/2017 (लेखापरीक्षा अव ध) तक उनके द्वारा धनरा श रू. 8008 (ववरण संलग्नक) ज्यादा आहरित की गई।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर बताया गया क प्रकरण की जांच कर उ चत कार्यवाही की जायेगी तथा अ धक भुगतान की वसूली की जायेगी।

अतः धनरा श रू. 21764 (रू. 13756+रू. 8008) के अ धक वेतन आहरण का प्रकरण उच्चा धकारियं के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग – 2 (ब)**

**प्रस्तर : 7- दशमोत्तर छात्रवृत्ति मद में विभाग की अवास्तविक निर्णय के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 1050.31 लाख की धनराशि का समर्पण एवं 7450 लाभार्थी वंचित। ।**

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार दिनांक नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया गया था। |

शासन द्वारा भारत सरकार से आवंटित छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है ततपश्चात् निदेशालय द्वारा जनपद के मांग के अनुसार धनराशि जनपद स्तर में आवंटित किया जाता है |कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया जो की निम्नबत है :-

| मद | 2016-17 में कुल बकाया प्राप्त धनराशि | विगत दो वर्षो के लिए व्यय | समर्पण |
|---|---|---|---|
| अनु: जाति | 1381.28 | 564.15 | 817.13 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 242.12 | 8.94 | 233.18 |
| **योग** | **1623.40** | **573.09** | **1050.31** |

निदेशालय द्वारा वर्ष 2016-17 के 10/2016 में जनपद को विगत वर्षो के बजट आवटन के समय यह निर्देश दिया गया था की विगत दोनों वर्षो के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवंटन के 50 % का भुगतान किया जाये 50 प्रतिशत भुगतान के उपरांत माह मार्च में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण पोर्टल बंद हो गया एवं इस सिद्धांत के फलस्वरूप धनराशि उपलब्ध होने के बावजूत ₹ 1050.31 लाख का समर्पण करना पढ़ा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदन के सापेक्ष भुगतान सूचना निम्नबत :-

| 2016-17 में आबेदन प्राप्त | भुगतानित लाभार्थी सं | वंचित लाभार्थी सं |
|---|---|---|
| 5587 | -- | 5587 |
| 2422 | 559 | 1863 |
| **8009** | **559** | **7450** |

अर्थात, वर्ष 2016-17 में विगत दो वर्षो की अवितरित धनराशि ₹ 1050.31 लाख का समर्पण साथ ही उस वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 7450 लाभार्थी को वंचित रहना पढ़ा लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की माह मार्च में पोर्टल न खुलने के कारण समर्पण करना पढ़ा उत्तर मान्य नही है कारण 10/2016 में बजट आवंटन के बाद 50 प्रतिशत भुगतान किया गया था, अगर निदेशालय की 50 प्रतिशत भुगतान का आदेश न होता तो शतप्रतिशत भुगतान किया जा सकता था ।

अतः वर्ष 2016-17 के दशमोत्तर छात्रवृत्ति मद में अवितरित धनराशि ₹ 1050.31 लाख का समर्पण साथ ही 7450 लाभार्थी को वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। |

## भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

| प्रति.संख्या | वर्ष | भाग–दो अ<br>प्रस्तर सं0 | भाग–दो ब<br>प्रस्तर सं0 | **STAN**<br>प्रस्तर सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2010–11 | शून्य | 04 | शून्य |
| | 2011–12 | शून्य | 03 | शून्य |
| 64 | 2012–13 | शून्य | 04 | शून्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2014–15 | 01 | 04 | 01 |
| 37 | 2016–17 | शून्य | 11 | शून्य |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अलुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अगले उच्च अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण को (वर्ष 2016–17) प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रति उपलब्ध करायी जिस पर अगले उच्च अधिकारी की संस्तुति अप्राप्त है। अतः संस्तुति के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकी। शेष वर्षो के लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। | | | | |

## भाग–4

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

## शून्य

## भाग–5

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. **सतत अनियमितताएंः–**

(अ) **शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | **श्री अनुराग शंखधर** | **जिला समाज कल्याण अधिकारी** |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा L-216 द्वतीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट, कौलागढ़ देहरादून** को प्रेषित कर दी जांए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**